TION AND DEPTT. OF CULTURE (KUMARI SELJA) : (a) According to information furnished by Kendriya Vidyalaya Sangathan, there is no system of carrying over of transfer applications, since fresh applications are called for at the beginning of each academic year.

(b) Does not arise.

शिक्षण कार्यक्रमों के लिए धनराशि का आवंटन

5093. **श्री गोपाल सिंह जी. सोलंकी** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91, 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान तथा महाविद्यालय प्राध्यापक शिक्षण कार्यक्रम के लिए गुजरात सहित राज्यवार और वर्षवार आबंटित की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है,

(ख) उपर्युक्त अवधियों के दौरान राज्यवार कितनी धनराशि जारी की गयी है,

(ग) क्या प्रथम दो वर्षों में जारी की गई धनराशि का पूर्णतः उपयोग कर लिया गया है,

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है, और

(ङ) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान प्रस्तावित धनराशि का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) वर्ष 1990-91, 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों/शिक्षक शिक्षा कालेजों/उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थानों के लिए विभिन्न राज्यों, जिनमें गुजरात शामिल है, को प्रदान किए गए अनुदान को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। **(नीचे देखिए)**

(ग) और (घ) अद्यतन उपलब्ध सूचना के आधार पर राज्यों/संघशासित प्रदेशों को अभी तक प्रदान किए गए अनुदान के राज्यवार उपयोग को दर्शाने वाला एक विवरण -2 संलग्न है। **(नीचे देखिए)**

इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता मुख्यतः भवनों के निर्माण और कर्मचारियों के वेतन के लिए है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदान किए गए अनुदान का उपयोग काफी धीमा है क्योंकि इमारत के निर्माण एवं पदों के सृजन और उसे भरने में काफी समय लगता है। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों/शिक्षक शिक्षा कालेजों/उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थानों की स्थापना दीर्घावधि परियोजनाएं है और जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान/शिक्षक शिक्षा कालेज/उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान को कार्यात्मक बनने से पहले, स्वीकृति की अवधि के पश्चात् इसे सामान्यतः 2-3 वर्ष लगते है।

(ङ) राज्य सरकार द्वारा पहली किस्त का 75 प्रतिशत उपयोग होने पर ही अनावर्ती अनुदान की दूसरी किस्त प्रदान की जाती है। इससे पिछले अनुदानों का वास्तविक उपयोग सुनिश्चित होता है। तिमाही प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से परियोजनाओं की प्रगति का लगातार अन्वीक्षण (मानिटर) किया जाता है।

इसके अलावा, कार्यान्वयन की प्रगति, राज्यों में अधिकारियों के दौरों, राज्य प्राधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकों, आंचलिक समीक्षाओं इत्यादि के जरिए भी नियमित रूप से मानिटर की जाती है।

विवरण-1

शिक्षक शिक्षा के लिए राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को दी गई सहायता

(लाख में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	जारी की गई राशि			
		1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
1.	आन्ध्र प्रदेश	106.00	585.25	591.92	512.15
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	35.00	98.95	319.41	478.64
4.	बिहार	0.00	298.36	675.02	508.27
5.	गोवा	2.00	5.50	12.86	5.03
6.	गुजरात	0.00	94.73	554.83	36.00
7.	हरियाणा	52.82	78.23	398.00	98.00
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	118.80	167.15
9.	जम्मू और कश्मीर	0.00	261.07	72.58	349.28
10.	कर्नाटक	0.00	300.00	353.10	636.60
11.	केरल	94.81	53.40	434.84	110.45
12.	मध्य प्रदेश	386.28	226.55	964.73	489.86
13.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	मणिपुर	1.00	110.30	12.11	127.64
15.	मेघालय	0.00	77.60	0.00	208.10
16.	मिजोरम	31.85	23.50	17.72	0.00
17.	नागालैण्ड	28.00	0.00	10.30	131.63
18.	उड़ीसा	33.00	140.67	482.68	451.83
19.	पंजाब	108.40	0.00	272.60	233.00
20.	राजस्थान	438.15	422.96	1052.92	454.59
21.	सिक्किम	0.00	36.88	0.00	0.00
22.	तमिलनाडु	105.00	519.00	487.24	355.00
23.	त्रिपुरा	0.00	0.00	20.00	0.00
24.	उत्तर प्रदेश	363.59	830.00	1328.32	1110.04
25.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	195.00
26.	अ० और नि० द्वीप समूह	0.00	0.00	38.90	0.00
27.	दिल्ली	40.05	91.80	74.25	105.31
28.	पांडिचेरी	0.00	30.00	0.00	0.00
	जोड़ :	1825.95	4284.75	8293.13	6763.57

नोट : जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थानों और राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषदों के सुदृढ़ीकरण का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न एजेंसियों को दी गई राशि इसमें शामिल नहीं है ।

विवरण–2

31–3–94 तक शिक्षक शिक्षा परियोजनाओं के अनुदान के उपयोग की प्रगति के संबंध में राज्यवार सूचना ।

(राशि लाख रुपये में)

	विमुक्त की गई राशि			प्रयुक्त की गई राशि
	(अनावर्ती)	(आवर्ती)	(अनावर्ती + आवर्ती)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
आंध्र प्रदेश	1530.05	1226.27	2756.32	3076.11
अरुणाचल प्रदेश	35.70	3.00	38.70	4.05
असम	1147.91	414.19	1562.10	835.83
बिहार	1246.65	235.00	1481.65	0.00
गोवा	28.30	25.39	53.69	23.76
गुजरात	825.85	324.23	1150.08	529.19
हरियाणा	781.00	100.95	881.95	496.61
हिमाचल प्रदेश	413.75	1.50	415.25	117.05
जम्मू और कश्मीर	983.68	180.45	1164.13	607.60
कर्नाटक	990.70	299.00	1289.70	55.00
केरल	811.20	323.44	1134.64	775.69
मध्य प्रदेश	2392.00	1053.64	3445.64	1743.39
महाराष्ट्र	380.80	0.00	380.80	229.51
मणिपुर	261.60	23.15	284.75	83.84
मेघालय	285.70	0.00	285.70	52.29
मिजोरम	79.40	28.17	107.57	117.50
नागालैंड	163.69	38.24	201.93	89.58
उड़ीसा	1022.32	770.63	1792.95	753.62
पंजाब	731.30	300.00	1031.30	618.44
राजस्थान	1926.30	1674.61	3600.91	1896.92
सिक्किम	71.70	0.68	72.38	36.65
तमिलनाडु	1635.22	1185.74	2820.96	2041.60
त्रिपुरा	46.60	0.00	46.60	21.17
उत्तर प्रदेश	4196.55	586.36	4782.91	4245.32
पश्चिम बंगाल	195.00	0.00	195.00	0.00
अडमान और निकोबार द्वीपसमूह	38.90	0.00	38.90	0.00
दिल्ली	117.97	328.51	446.48	240.91
पांडिचेरी	30.00	0.00	30.00	0.00
कुल :	22369.84	9123.15	31492.99	18691.63